Seventeenth Series, Vol. XIII No.13

Thursday, August 05, 2021

Sravana 14, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIII contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi

Srivilasa Pandey

Joint Director

Sunita Arora

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 13, Thursday, August 05, 2021/Sravana 14, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
FELICITATIONS BY THE SPEAKER	10
Congratulations to Men's Hockey Team, Ms. Lovlina Borgohain and other women players on Winning Medals in Tokyo Olympics	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 241 to 252	12-31
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 253 to 260	32-118
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	119-727

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	730-737
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	
5th Report	738
COMMITTEE ON ESTIMATES	
11th Report	738
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	
12th to 14th Reports	739
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY	
Statements	740-741
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	
18th to 20th Reports	742
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION	
Statements	743-744
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	
12th Report	745
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
Statements	746-747

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

16th to 19th Reports 748

STATEMENTS BY MINISTERS 749-752

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti

Shri Gajendra Singh Shekhawat 749

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs 750

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs

Shri Hardeep Singh Puri 750

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 325th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports

Shri Anurag Singh Thakur 751

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 300th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 752

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) Central Universities (Amendment) Bill, 2021 754-755

(ii) Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021 780-782

MATTERS UNDER RULE 377 756-775

(i) Regarding CBI inquiry into alleged kidnapping of a youth in Pali, Rajasthan

Shri Devaji Patel 756

(ii) Regarding environmental pollution in Jharsuguda district in Bargarh Parliamentary Constituency, Odisha

Shri Suresh Pujari 757-758

(iii) Regarding damage caused to agricultural produce by heavy rains and flood in Jammu & Kashmir

Shri Jugal Kishore Sharma 759

(iv) Need to appoint trained technicians for maintenance of water tanks under 'Har Ghar Nal, Har Ghar Jal' Yojana

Shri Ravindra Kushawaha 760

(v) Need to construct Community Halls named after 'Birsa Munda'

Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava 761

(vi) Need to promote biogas fuel based public transport system in the country particularly in Bundelkhand region

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 762

(vii) Need to set up a Mega Textile Park in Pali District, Rajasthan

Shri P.P. Chaudhary 763

(viii) Need to set up an AIIMS in Baroda, Gujarat

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 764

(ix) Regarding repair of Badipal dam on Lake Pichola in Udaipur, Rajasthan

Shri Arjunlal Meena 765

(x) Need to construct Chakia–Bairgania road in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Rama Devi 766

(xi) Need to depute Central Armed Police Forces in Darbhanga, Bihar keeping in view the increasing terrorist activities in the region

Shri Gopal Jee Thakur 767

(xii) Regarding CGHS facilities for serving employees/pensioners of Union Territories

Shri Kuldeep Rai Sharma 768

(xiii) Regarding inclusion of Malayalam in the list of approved languages

Shri Benny Behanan 769

(xiv) Need to restore railway services between Mayiladuthurai and Tharangambadi in Tamil Nadu

Shri S. Ramalingam 770

(xv) Need to take appropriate legislative action to relax the 50 per cent limit of reservation

Shri Arvind Sawant 771

(xvi) Need to repair approach roads to various railway stations under the control of railways in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

Dr. Alok Kumar Suman 772

(xvii) Need to ensure payment to sugarcane farmers of Balrampur, Uttar Pradesh

Shri Ramshiromani Verma 773

(xviii) Regarding skill upgradation of Weavers in Medak Parliamentary Constituency

Shri Kotha Prabhakar Reddy 774

(xix) Need to provide a relief package for people affected due to heavy rains and flood in Maharashtra and help people rebuild their damaged homes under PMAY

Shrimati Navneet Ravi Rana 775

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 778

AND

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 763

Member-wise Index to Unstarred Questions 764-769

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 770

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 771

[*] Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 05, 2021/ Sravana 14, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to Men's Hockey Team, Ms. Lovlina Borgohain and other women players on Winning Medals in Tokyo Olympics

माननीय अध्यक्ष : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। साथ ही सुश्री लवलीना बोरगोहेन ने ओलम्पिक खेलों में बॉक्सिंग के महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और सुश्री लवलीना को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

भारत को हॉकी में चार दशकों से भी ज्यादा समय बाद ओलम्पिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि टोक्यो ओलम्पिक में हमारी बेटियां अब तक देश के लिए तीन पदक जीत चुकी हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने दृढ़ इच्छाशक्ति, लगन और मजबूत इरादे प्रदर्शित करते हुए न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि विश्व के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी सिद्ध हुई हैं। आज यह पूरा सदन नारी शक्ति की प्रतीक हमारी बेटियों का अभिनंदन करता है। भारत की नारी शक्ति ने खेलों के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित कर अनेक अवसरों पर देश का मान और गौरव बढ़ाया है। सभा देश के उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भी सराहना करती है, जिन्होंने अपने-अपने मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सभा उनके संकल्प, उनके जज्बे का अभिनंदन करती है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 241- श्री विष्णु दत्त शर्मा।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, एक मिनट। सर, दो बातें हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 9 वर्षीय एक दलित बच्ची के साथ … (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : अभी प्रश्न काल है।

… (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 241, श्री विष्णु दत्त शर्मा **।**

(Q. 241)

श्री विष्णु दत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : राहुल गांधी जी ने बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम की …* हैं। जब वह विजिट करने गए … (व्यवधान)

श्री विष्णु दत्त शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय से केन-बेतवा लिंक परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी ने अटल जी के इस सपने को पूरा किया। मेरे क्षेत्र बुन्देलखण्ड को इसका बड़ा लाभ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध के संबंध में विस्थापन की कार्य-योजना में क्या प्रगति हुई है? उक्त बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है? क्या सरकार ने छतरपुर जिले के दस गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पुनर्वास की योजना तैयार की है, जो उक्त बांध तथा नहरों के निर्माण के कारण डूबने वाले हैं? इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने देश के लिए बहुप्रतीक्षित नदियों को जोड़कर सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर करने का जो संकल्प देश के सामने स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी

---

* Not recorded.

जी ने रखा था, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सपना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित दोनों ही राज्यों का एक बहुत बड़ा भू-भाग जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है।…(व्यवधान) बुंदेलखंड क्षेत्र और सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं।…(व्यवधान) बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पेय जल मिल सके।…(व्यवधान) वहां दो लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सके और साथ ही साथ वहां भूगर्भ के जल का पुनर्भरण हो सके।…(व्यवधान) इस लक्ष्य के साथ केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए दोनों राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट सुशासन दिवस के दिन हुआ है।…(व्यवधान) मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों का, आज सदन के पटल पर खड़े हो कर इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो देश में एक नई शुरुआत होगी, अभिनंदन करना चाहता हूं।…(व्यवधान) उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजनाएं लगभग 44 हजार करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड लागत से पूरी होंगी।…(व्यवधान) छत्तरपुर जिले के 10 गांव सबमर्ज होंगे।…(व्यवधान) उनके पुनर्वास के लिए वर्तमान डीपीआर में लगभग 22 सौ करोड़ रुपए का एस्टिमेशन किया गया है।…(व्यवधान) क्योंकि अभी योजना के कंसट्रक्शन का कैबिनेट अप्रूवल बाकी है, इसलिए डिसप्लेस होने वाली फैम्लीज के लिए, वहां पुनर्वास की प्रक्रिया के बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह परियोजना इस पूरे क्षेत्र की तकदीर बदलने के साथ-साथ भारत में नदियों को जोड़ने की इस नई व्यवस्था का शुभारंभ करने वाली बनेगी।…(व्यवधान)

श्री विष्णु दत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जल शक्ति मंत्रालय को पर्यावरण-वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से केन-बेतवा लिंक परियोजना के दोनों स्टेजेज, यानी स्टेज-II के लिए फॉरेस्ट क्लियरैंस मिल गया है? …(व्यवधान) अगर यह नहीं मिला है, तो इसके बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? …(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र पन्ना भी इस केन-बेतवा परियोजना के कारण प्रभावित होगा।…(व्यवधान) डूब क्षेत्र में 10-12 गांव आ रहे हैं।…(व्यवधान) सिंचाई की परियोजना में क्या लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पन्ना को इसकी सुविधा मिलेगी? …(व्यवधान) इसके बारे में सरकार की क्या योजना है? …(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक एन्वायरन्मेंट क्लियरैंस का प्रश्न है, तो केन-बेतवा परियोजना के लिए स्टेज-I का एन्वायरन्मेंट क्लियरैंस प्राप्त किया जा चुका है।…(व्यवधान) इसके स्टेज-II के एन्वायरन्मेंट क्लियरैंस के लिए जो वाइल्ड लाइफ क्लियरैंस है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बना लिया है।…(व्यवधान) वह प्लान एमओईएफ के साथ शेयर किया गया है।…(व्यवधान) मुझे यह विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में स्टेज-II की क्लियरैंस भी मिल जाएगी।…(व्यवधान) माननीय सदस्य के पन्ना क्षेत्र के गांवों में सिंचाई का प्रबंध करने का प्रश्न है, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य को अपने यहां पर, अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।…(व्यवधान) यदि वह राज्य अपने अनुकूल, अपने यहां की परिस्थितियों के अनुकूल, मध्य प्रदेश अपने हिस्से के पानी को पन्ना में ले जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसमें भारत सरकार को प्रसन्नता ही होगी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 242, श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले।

(Q. 242)

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब घरों के अंदर, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली प्रदान करा कर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य इस देश में किया गया है।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बिजली योजना के तहत सभी घरों में, गरीब लोगों को बिजली दे दी गई है।…(व्यवधान)

मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सौभाग्य योजना के तहत सभी गरीब लोगों के घरों में बिजली दे दी गई है।… (व्यवधान) लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं और जो इलाके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, उन इलाकों में इस योजना की सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या सरकार ने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है? … (व्यवधान) अगर मैकेनिज्म डेवलप किया है, तो उसकी रूपरेखा क्या है? … (व्यवधान)

श्री आर.के. सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 2 करोड़ 81 लाख घरों को बिजली से कनेक्ट कर दिया है।**…** (व्यवधान) राज्य सरकारों ने जो भी संख्या बताई थी कि इतने घर हैं, हम लोगों ने सभी घरों में कनेक्शन दे दिया है। उसके बाद भी हमने राज्य सरकारों से पूछा कि और घर बचे हुए हैं, तो आप बताएँ।**…** (व्यवधान) राज्य सरकारों ने कहा कि कुछ घर बच गए हैं, उन घरों को भी कनेक्ट करने के लिए हमने सहमति दे दी और उसके लिए राशि स्वीकृत कर दी। कुल मिलाकर हम लोग कोई भी घर बिना बिजली कनेक्शन के नहीं छोड़ने वाले हैं।**…** (व्यवधान)

जहाँ तक बिजली की उपलब्धता का प्रश्न है, आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन 12 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन आज के दिन हम जो फीडर की मॉनिटरिंग करते हैं, इससे यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े 22 घंटे बिजली रहती है।**…** (व्यवधान) हम

इसे 12 घंटे से बढ़ाकर साढ़े 22 घंटे तक ले गए ।**…** (व्यवधान) शहरी क्षेत्रों में साढ़े 23 घंटे बिजली रहती है। यह पूरे भारत वर्ष का एवरेज है। हम लोगों ने जो हर घर को कनेक्शन दिया**,** इसके संबंध में इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में यह एक नया एचीवमेंट है**,** एक बड़ा अचीवमेंट है।… (व्यवधान) हम लोगों ने इतने कम समय में इतने घरों को कनेक्शन दे दिया, इसको दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 243 श्री ए**.** राजा ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पूछें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. ए. चेल्लाकुमार।

… (व्यवधान)

(Q. 243)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER : Q. No. 244, Shri Prajwal Revanna.

(Q.244)

SHRI PRAJWAL REVANNA : Sir, I just want to ask the hon. Jal Shakti Minister. Why do we have to take consent of Tamil Nadu for undertaking Mekedatu Dam project as it is not mentioned in any clause in the Cauvery Tribunal Award stating that we have to take permission from lower riparian State? As we are clearly stating that we are using water which is allocated to Karnataka State for drinking purpose and power generation in which water which is used for power generation is flowing back to the river course. The Union Government should also notice that we are doing all of this under the purview of water which is allocated to Karnataka, by not disrespecting the Tribunal Award and not violating the Supreme Court judgement.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक स्टेट ने मेकेदातू बांध की पीएफआर सब्मिट की थी और जब उसके अनुक्रम में डीपीआर बनाने की परमिशन दी गई थी, तो वह कंडिशनल परमिशन थी और उस परमिशन में यह लिखा गया था कि यह इंटरस्टेट बेसिन की नदी पर बनाया जाना है और इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट के अनुरूप सारी लोअर राइपेरियन स्टेट्स और स्टेक होल्डर स्टेट्स की अनुमति होना आवश्यक है। इसलिए डीपीआर के सब्मिशन के समय में यह तय किया गया था कि डीपीआर सब्मिट करते समय सीडब्ल्यूएमए की परमिशन आवश्यक होगी, यह पहली कंडिशन थी।

चूंकि सीडब्ल्यूएमए में चारों स्टेट्स पार्टनर हैं, इसलिए सीडब्ल्यूएमए की अनुमति के बिना उस डीपीआर पर फर्दर असेसमेंट करना नियमानुसार नहीं होगा।

SHRI PRAJWAL REVANNA: Sir, the hon. Minister has replied stating that they have not been given any proposal for the environmental and the forest thing. I do have the records with me. We have already sent a proposal across the e-Portal to MOEF&CC. There has been a meeting with the Appraisal Committee of MOEF&CC. We have answered their observations and have also mentioned in a written letter that if we do not get back a reply within six months, we consider it to be a deemed approval.… (*Interruptions*)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष जी, एमओईएफ की अनुमति का जो प्रश्न है, उसके लिए हमने लिखा है कि अभी हमें इस तरह की कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है और हमारे यहां सब्मिट नहीं की गई है।**…** (व्यवधान) डीम्ड अप्रूवल मानते हुए भी कर्नाटक राज्य को पहले उसे सीडब्ल्यूएमए के साथ शेयर करने की आवश्यकता है।… (व्यवधान)

HON. SPEAKER : Shri Jayadev Galla, Q. No. 245.

…. (*Interruptions*)

(Q.245)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI : Thank you, Speaker, Sir. Through you, Sir, I would like to know from the Minister of Ports, Shipping and Waterways, whether the implementation of Sagarmala Programme has been adversely affected by COVID-19 pandemic; if so, the details thereof including the steps taken by the Central Government to mitigate the same; and whether the Government has any plan to include lighthouse development under Saragmala Programme; and if so, the details thereof.… (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Hon. Member has raised a question regarding the effect of the pandemic situation on the projects under Sagarmala programme. It has become impossible to undertake speedy construction work on most of these projects because of the pandemic situation. Wherever the situation has improved, we are taking adequate measures to get the work done.… (*Interruptions*)

We have already taken up the project to develop lighthouses under Sagarmala Progrmme. Altogether, 65 projects have been taken up under this programme which will be done in PPP mode.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 246, सुश्री महुआ मोइत्रा ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुश्री महुआ मोइत्रा जी, आप प्रश्न पूछिए। आपको देश की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि आप प्रश्न काल का उपयोग करें।

… (व्यवधान)

(Q.246)

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया): अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER : Q.No. 247, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane.

… (*Interruptions*)

(Q.247)

DR. SUJAY VIKHE PATIL : Thank you Speaker, Sir, for giving me an opportunity to ask a supplementary question. First, I would like to thank the hon. Minister Gadkari ji for leading the Ministry, building the highways at a record speed, and also allotting major highway projects to my constituency.… (*Interruptions*)

My question pertains to a very important National Highway, that is, Ahmednagar to Karmala which falls in my Ahmednagar Lok Sabha constituency. I have already referred this matter to the hon. Secretary. The entrustment notification, saying that this National Highway has been entrusted to the National Highways Authority of India, is yet to be published. That is the first thing.… (*Interruptions*)

Secondly, this Highway was mentioned in the first notification as 516A. It was corrected in the second notification and was mentioned as 561A.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Minister to amend the notification and to issue a two-line notice that NH-516A should be read as 561A as far as project is concerned.

श्री नितिन जयराम गडकरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव और जो बातें माननीय सदस्य ने बताई हैं उनको वेरिफाई करके उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसदों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए सारे सांसद माननीय मंत्री जी से मिले थे। … (व्यवधान) जो सीआरएफ फंड है वह राज्य सरकार के जिम्मे हम लोगों ने छोड़ रखा है। … (व्यवधान) सांसदों के रिकमेंडेशन्स सीआरएफ फंड में नहीं आते हैं, इस वजह से सरकार उसको क्लीयर नहीं करती है। … (व्यवधान) हम सभी सांसद बार-बार माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कम से कम भारत सरकार को यह अधिकार देना चाहिए कि सांसदों का एक कोटा निर्धारित हो या सांसदों के जो रिकमेंडेशन्स हैं, उनके आधार पर सीआरएफ फंड के रोड लिए जाएं, क्योंकि यह केंद्र सरकार का फंड है। … (व्यवधान) क्या इस प्रकार की कोई योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि राज्य सरकार की सिफारिश के बिना हम कोई भी सिफारिश मंजूर नहीं कर सकते हैं। … (व्यवधान) अत: माननीय सांसद को भी अपने काम के लिए राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता है और उनसे सिफारिश होने के बाद ही उसे मंजूरी मिलती है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की संसद सर्वोच्च होने के बाद भी हमारे सांसदों को इसमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। … (व्यवधान) उनकी भावना और सदन के सभी सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए इस निधि में से कुछ निधि सांसदों के रिकमेंडेशन के लिए भी उनके आधार पर डायरेक्ट दी जाए, इस प्रकार की सिफारिश मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भेजूंगा। … (व्यवधान) उनकी अनुमति के बाद ही इस कानून में सुधार होगा। उसके बाद ही यह हो पाएगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-248, श्रीमती सजदा अहमद ।

… (व्यवधान)

(Q. 248)

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया): महोदय**,** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-249, श्री एम.के. राघवन।

… (व्यवधान)

(Q.249)

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-250, डॉ. टी. सुमति।

… (व्यवधान)

(Q.250)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, statement is laid on the Table of the House.

HON. SPEAKER : Q. No. 251, Shri Suresh Pujari.

(Q.251)

श्री सुरेश पुजारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको मैंने देखा है। … (व्यवधान) इसमें मेरा यह कहना है कि the project-affected area does not mean an area where only the land is acquired. The project-affected area is around the industry and is within the radius of 15 kilometres. Though the NTPC's Lara thermal power project was established on the other side of the State, my area is also adversely affected.

Through you, I would like to apprise the hon. Minister that six GPs namely, Kandekela, Remta, Charpali, Pithinda, Kanakpur, and Badimar are adversely affected due to the drainage of effluents from the NTPC plant to Mahanadi River. As a result of the same, water and air are polluted and many a time, crops are also damaged. मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप एनटीपीसी लारा से बात करेंगे? मेरा जो इफेक्टेड एरिया है, जहां लैंड एक्वायर नहीं हुई है, वहां भी सीएसआर एक्टिविटीज होनी चाहिए। … (व्यवधान) इसके अलावा यहां पर हो रहे काम की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको तुरंत बंद करने के लिए क्या माननीय मंत्री एनटीपीसी, लारा को निर्देश देंगे? … (व्यवधान)

श्री आर.के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया है, वह सारा एरिया छत्तीसगढ़ में है। … (व्यवधान) वहां पर हम लोग करीब 320 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) झारसुगुड़ा का जो एरिया है, वह प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया में नहीं आता है, लेकिन फिर भी

हमने वहां पर सीएसआर के अंतर्गत कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 72 लाख रुपये का आवंटन किया है। … (व्यवधान)

उसमें से अभी 46 लाख रुपये खर्च हुए हैं, बाकी 25-26 लाख रुपये अभी खर्च होने बाकी हैं।… (व्यवधान) यह आवंटन हमने कलेक्टर, झारसुगुड़ा को दिया है।… (व्यवधान) जहाँ तक पॉल्यूशन का प्रश्न है, मैं इसकी जाँच करवाऊँगा।… (व्यवधान) अगर वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसे हम रूकवाएंगे।… (व्यवधान) अगर वहाँ और भी विकास के कार्य करने की आवश्यकता होगी तो वह भी हम करवाएंगे।… (व्यवधान)

श्री सुरेश पुजारी : कानून के अनुसार जहाँ लैंड एक्वायर हुई है, that area is not only the affected area. … (व्यवधान) प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का मतलब यह है कि वहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं होते हुए भी, जो पर्यावरण और बाकी कुछ एडवांसली अफेक्टेड होते हैं, वहाँ भी सीएसआर एक्टिविटीज होने के लिए कानून में प्रावधान है।… (व्यवधान) मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसके लिए निर्देश दें।… (व्यवधान) मेरा एरिया ओडिशा में है और मेरा एरिया एनटीपीसी के द्वारा अफेक्टेड है।… (व्यवधान) वहाँ भी रेगुलर, ईयरली सीएसआर की एक्टिविटीज होनी चाहिए और मेरे एरिया को उसका शेयर मिलना चाहिए।… (व्यवधान)

श्री आर.के. सिंह : महोदय, यह मैंने नोट कर लिया है।**…** (व्यवधान) अगर इनके यहाँ इसका कुप्रभाव हो रहा है, तो हम उसे रोकेंगे।… (व्यवधान) दूसरा, वहाँ जो विकास के कार्य होने चाहिए, हम जिला प्रशासन से परामर्श करके उन्हें करवाएंगे।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 252, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन...

... (व्यवधान)

(Q.252)

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया): महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रेषित किया गया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूँ कि देश के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न काल चल रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार की जवाबदेही तय होती है। आप कड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाते हैं और फिर प्रश्न नहीं पूछते हैं। वेल में आकर नारेबाजी करते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। कई दलों के माननीय सदस्य वेल में नहीं आते हैं। आपको उनका आचरण और अनुसरण करना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता चाहती है कि संसद चले। संसदीय परम्पराओं और नियमों से चले, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता का बार-बार मुझसे आग्रह रहता है कि संसद क्यों नहीं चल रही है? हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और आप संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय हैं। आप माननीय जैसा व्यवहार करें। आप अपनी**-**अपनी सीट पर जाकर विराजें और प्रश्न काल को चलने दें।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (<u>व्यवधान</u>)

<u>11.28 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

____

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 253 to 260

Unstarred Question Nos. 2761 to 2990)

(Page No.32 to 727)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ जघन्य और बर्बर तरीके से बलात्कार तथा खून करके जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके खिलाफ सदन के अंदर एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, अधीर रंजन चौधरी जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन यह राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? … (व्यवधान) जब इनके नेता राहुल गांधी जी वहां गए तो उन्होंने बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम की …* उनका फोटो शेयर किया। यह शर्मनाक बात है। उन्होंने कानून के विपरीत काम किया है। इसकी निंदा की जानी चाहिए।… (व्यवधान)

12.0 ½ hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Jasbir Singh Gill and some other hon. Memebrs came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 7 तक – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नालिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

[Placed in Library, See No. LT4555/17/21]

(ख) (एक) वैप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4556/17/21]

(3) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4557/17/21]

(5) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4558/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4559/17/21]

(3) दामोदार घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020, जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.106(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4560/17/21]

(5) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/160/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/42/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 2/2(2)/2011-स्था./सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/257/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विद्युत (संशोधन) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली के अलावा संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 जो 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 43(अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (केवल हिन्दी संस्करण) तथा जिनमें 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[Placed in Library, See No. LT4561/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 124 की उप धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359 (अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT4562/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं वायुयान अधिनियम,1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) संशोधन नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[Placed in Library, See No. LT4563/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4564/17/21]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) जो 06 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए देय प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4565/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री निशीथ प्रामाणिक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4566/17/21]

(3) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 की धारा 26 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ. सं. एनएसयू/अध्यादेश/2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिनांक 18 जनवरी, 2021 को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के 26 अध्यादेशों और 2 विनियमों, के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4567/17/21]

12.02 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
5th Report

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to present the Fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.02 ½ hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES
11th Report

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-22) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

12.03 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
12th to 14th Reports

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, I beg to present the following reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation: -

1. The Twelfth Report on the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2018 (G.S.R. No. 456(E) of 2018) framed under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.
2. The Thirteenth Report on the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' Posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2020 (G.S.R. No. 39(E) of 2020).
3. The Fourteenth Report on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation (Seventeenth Lok Sabha) on the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

Statements

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to lay the Statements (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Standing Committee on Information Technology (2020-21) :-

(1) Thirteenth Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their First Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(2) Fourteenth Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Second Report (17th Lok Sabha) 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

(3) Fifteenth Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Third Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Communications (Department of Posts).

(4) Sixteenth Action Taken Report (17^{th} Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Fourth Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Electronics and Information Technology'.

(5) Seventeenth Action Taken Report (17^{th} Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Eighth Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

(6) Eighteenth Action Taken Report (17^{th} Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Fifth Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Electronics and Information Technology.

(7) Nineteenth Action Taken Report (17^{th} Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Sixth Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(8) Twentieth Action Taken Report (17^{th} Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Seventh Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
18th to 20th Reports

श्री एस.सी. उदासी (हावेरी): सभापति महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लाक का विकास' विषय के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब' विषय के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में ज्वारीय विद्युत विकास' विषय के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

Statements

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I beg to lay on the Table the following Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution :-

(1) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 5th Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in 1st Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

(2) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 6th Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in 2nd Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(3) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I of the 7th Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in 3rd Report (17th Lok Sabha) on 7 Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(4) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 8th Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in 4th Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

माननीय सभापति : श्री विजय बघेल जी

… (व्यवधान)

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
12th Report

श्री विजय बघेल (दुर्ग): सभापति महोदय, मैं "चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन" के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। … (व्यवधान)

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Statements

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): सभापति महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित पाँच अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के विशेष संदर्भ में औषधियों का मूल्य निर्धारण' (औषध विभाग) विषय के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समित की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
2. 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
3. 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' (औषध विभाग) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
4. 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के 6वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

5. 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' (औषध विभाग) के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
16th to 19th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हँ:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्राणीण (पीएमएवाई-जी) संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
3. भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
4. पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

____

12.07 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.*

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4550/17/21.

12.07 ½ hrs

(ii)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4551/17/21 and 4552/17/21 respectively.

12.08 hrs

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 325th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports*

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 325th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4553/17/21.

12.08 ½ hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 300th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 300वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी सीट्स पर वापस जाइए और कार्यवाही में सहयोग कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4554/17/21.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

12.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Item no. 21. Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

14.01 hrs

At this stage, Shrimati Satabdi Roy (Banerjee), Shri Hibi Eden, Shri E.T. Mohammed Basheer and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

… (*Interruptions*)

14.01 ½ hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i)Central Universities (Amendment) Bill, 2021*

THE MINISTER OF EDUCATION AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, the House is not in order. How can I oppose? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari.

… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 05.08.2021.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB) : Madam, there was a time when the convention of this House was that till the time the House was not in order, no legislation could be discussed. … (*Interruptions*) What is happening here is completely unconstitutional. … (*Interruptions*) It is the *…*[*] of democracy. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Madam, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

14.03 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over the approved text of the matter at the Table immediately.

… (*Interruptions*)

(i) Regarding CBI inquiry into alleged kidnapping of a youth in Pali, Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): पाली के सुमेरपुर तहसील के नेतरा गांव के 16 वर्षीय युवक जो कि 23 नवम्बर, 2016 के दिन फालना क्लासेस गया था, उसके बाद वापस घर नहीं लौटा। अज्ञात लोगों द्वारा युवक का अपहरण करने के संबंध में पुलिस थाना फालना में एफआईआर 152/2016 दर्ज हैं। अपहरणकर्ताओं द्वारा कई बार फिरौती के पत्र भी घर पर भेजे गए परिवारजनों ने 25 लाख रूपये लेकर बताये गये स्थान पर गए लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। उक्त प्रकरण में स्थानीय प्रशासन एवं राजस्थान सरकार को अवगत करवाने के बाद अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। जिससे युवक के परिवारजन निराश है, क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा एवं तीन बहिनों का एक भाई था, लंबे समय से उनका सुराग नही मिलने से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उक्त प्रकरण का खुलासा न होने से प्रदेश में राजपुरोहित समाज सहित सामाजिक संगठनों में भी गहरा रोष व्याप्त हैं। इसलिए उक्त प्रकरण की केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सी बी आई द्वारा जांच करवा कर परिवार को न्याय दिलाए ।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii)Regarding environmental pollution in Jharsuguda district in Bargarh Parliamentary Constituency, Odisha

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): I would like to bring to your kind notice that Jharsuguda District in Bargarh Lok Sabha Constituency is facing the consequences of enormous environmental pollution mainly due to emission of green house gases and faulty method of fly-ash disposal. As per regulation, the fly-ash should be disposed in low lands as landfills for dry ash and in safe ponds for the wet ash. It has been strictly forbidden either to use agricultural land or lands adjacent to them or Gochar land for ash disposal. Further, it has also been forbidden to transport the ashes in open vehicles to prevent aerial circulation as dust. These norms are being constantly violated by a company in Jharsuguda causing serious health problems. Further, the heaps of ashes deposited as ash hills on open plain land get washed in to the water resources contaminating the water and the animals in water such as fishes through which they enter the food-chain. The ash is contaminating the crop fields and severely hampering the crop production and causing health hazards. Air pollution absorbed through inhalation is causing silicosis, bronchial asthma, high blood pressure, swelling in the brain, haemoglobin damage, osteoporosis, damage to the male reproductive system and cancer. This is due to high exposure of the population to the toxic constituents in the fly-ash such as Lead Cadmium, Mercury, Chromium, Arsenic,

Molybdenum, Thallium and Silica etc. I would therefore request the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change through you Sir to order an inquiry through a high level technical team, examine the degree of pollution being caused and put a brake on the careless disposal of fly ash and other dangerous affluents causing air and water pollution and issue strict guidelines to the industries in Jharsuguda to stick to the regulation.

(iii) Regarding damage caused to agricultural produce by heavy rains and flood in Jammu & Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले दिनों से हो रही बरसात से कई जगह पर बाढ़ से काफी जान माल का नुक्सान हो रहा है, किसानो की फसल और खेती योग्य भूमि ख़राब हो गयी है, जिसके कारण किसानो को बहुत नुक्सान हो रहा है, अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे किसानों के लिए कोई ठोस कदम उठाये जायें या सरकार द्वारा कोई ऐसी कोई योजना बनाया जायं , जिससे कि इन किसानो को इनकी फसल और ख़राब हुई खेती योग्य भूमि का पूरा मुआवज़ा मिल सके क्योकि देश का किसान खेती पर ही निर्भर होता है।

आपदा में हुए जान माल के नुकसान को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जायें , जिससे की भविष्य में ऐसा न हो।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी विपदा से होने वाले नुक्सान से बचने के लिए नवीन प्रणाली से युक्त संयंत्र लगाये जाये, जिससे कि ऐसी विपदाओं का पूर्वानुमान हो सके, और किसानों के लिए भी ऐसी कोई योजना लायी जाये, जिसमे इनकी फसलों और भूमि का बीमा हो सके, जिससे किसानो को भूखा न मरना पड़े।

(iv)Need to appoint trained technicians for maintenance of water tanks under 'Har Ghar Nal, Har Ghar Jal' Yojana

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''हर घर नल, हर घर जल'' के अन्तर्गत देश के सभी ग्राम सभाओं में बने या निर्माणाधीन पानी की टंकियों को बनाकर सरकार ग्राम सभाओं को सुपुर्द कर रही है। महोदय आपको अवगत कराना है कि ग्राम सभाओं के पास कोई प्रशिक्षित टेक्निशियन नहीं होने के कारण टंकियों का रख-रखाव व पानी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पायेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में बहुत सारी पानी की टंकिया इसी वजह से आज तक चालू नहीं हो पायी है , साथ ही बहुत सारी पांनी की टंकिया विगत कई वर्षों से बन्द पड़ी हैं जिनकी कोई सुध लेना वाला नहीं है जिससे आम जन को अत्यंत कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है। महोदय मेरा क्षेत्र हैवी मैटेल (आर्सेनिक युक्त) पानी का क्षेत्र है, पानीं की टंकियो के सुचारू रूप से न चल पाने के कारण सभी लोग हैवी मैटेल (आर्सेनिक युक्त) पानी पीने के लिए मजबूर हैं।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हुं कि इस गंभीर विषय पर ध्यान देते हुये अपने स्तर से प्रत्येक ग्राम सभाओं में कौशल विकास के द्वारा प्रशिक्षित टेक्निशियन युवांओं की भर्ती की जाये जिससे रोजगार का भी सृजन होगा और सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा।

(v)Need to construct Community Halls named after 'Birsa Munda'

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली) : मैं माननीय जनजातीय विभाग मंत्री जी का ध्यान बहु उद्देशीय सामुदायिक भवन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ज्यादातर देखा गया है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक भवन नहीं हैं। जन जाति समाज के लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं, ऐसे में वे अपना सामाजिक खर्च वाहन करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं गुजरात के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए ऐसी समस्याओं से अवगत हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सूरत और तापी जिला सहित गुजरात और पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कम से कम 5 करोड़ रुपये की लागत से बिरसा मुंडा के नाम से सामुदायिक भवन के निर्माण का प्रावधान किया जाए।

(vi)Need to promote bio-gas fuel based public transport system in the country particularly in Bundelkhand region

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): केंद्र और यूपी राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जनकल्याण और देश की प्रगति के लिए अनेक प्रयास युद्धस्तर पर लिए जा रहे हैं। उनमें से एक सड़क राजमार्गों का निर्माण है ।इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निर्माण किया जा रहा जो चित्रकूट से महोबा हमीरपुर होते हुए इटावा तक लगभग 206 किमी लंबा है और मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी लंबाई महोबा और हमीरपुर होते हुए लगभग 100 किमी है। यह लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस मार्ग व यमुना एक्सप्रेस मार्ग को जोड़ते हुए बुन्देलखण्ड को दिल्ली से जोड़ेगा। इस प्रयास से बुंदेलखंड में तेज औद्योगिकीकरण निश्चित रूप से होगा । इस प्रकार देश में बनते सड़क मार्गों में आवागमन की आवृत्ति बढ़ने से ईंधन की खपत में भी वृद्धि होगी और इस अवसर का उपयोग देश के अन्न दाता किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है । देश में राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बुंदेलखंड सहित देश के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों पर प्रारम्भ में सार्वजनिक परिवहन हेतु बायोगैस के उपयोग को अनुमति प्रदान करते हुए इसके वितरण के लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी किया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सहित अन्य राजमार्गों के किनारे बॉयोगैस पंप बन जाने से न सिर्फ हरित ईंधन की उपलब्धता होगी वरन देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होगें और बुंदेलखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण अन्ना प्रथा पर रोक लगाए जाने वाले प्रयासों को और मजबूती प्राप्त होगी।

अतः बायोगैस के परिवहन में उपयोग को बढ़ाने और विशेषकर बुन्देलखण्ड में इस हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सरकार से विशेष अनुरोध करता हूँ।

(vii)Need to set up a Mega Textile Park in Pali District, Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): इस वर्ष के आम बजट में सात नए मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है। इस महत्ती घोषणा का मुख्य उद्देष्य भारत को कपड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से एकीकृत व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाना है। मेरे संसदीय क्षेत्र का पाली शहर विश्वभर में कपड़ा नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त है।

मेगा टेक्सबइल पार्क को पाली जिले में स्थापित करने की मांग के पीछे पाली शहर की भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ आवागमन सहित अनेक खूबियां हैं जो इस जिले को मेगा टेक्सटाइल पार्क हेतु उपयुक्त एवं सर्वश्रेष्ठ बनाती है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर से पाली जिले के जुड़ा होने से कपड़ा उद्योग से जुड़े कच्चे एवं उत्पादित माल को लाने व ले जाने हेतु आवागमन की सुगमता रहेगी। वर्षों से कपड़े का काम कर रही कपड़ा नगरी पाली में कपड़ा उद्योग से जुड़ी सभी इकाईयों के लिए भी कुशल श्रमिकों की सुगम उपलब्धता हमेशा रहती है। वर्तमान में पाली के करीब 40 हजार लोग कपड़े की ईकाईयों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पाली में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग में लाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से सी.ई.टी.पी. का अपग्रेडेशन हाल ही में किया गया है, यदि पाली में नया मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया जाता है, तो उस क्षेत्र को सी.ई.टी.पी. से जोड़कर प्रदूषण को रोकने में भी काफी सफलता मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त पाली में सरकारी भूमि वृहद रूप में उपलब्ध है, टेक्सटाइल पार्क के लिए अनुमानित 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो कि पाली जिले में आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

अतः माननीय वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध है कि पाली में मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना ताकि यहां के टेक्सटाइल उद्योगों को नई दिशा देकर, नई उंचाईयों तक पहुंचाया जा सके।

(viii)Need to set up an AIIMS in Baroda, Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना है और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करना है तथा नए एम्स की स्थापना में अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सुविधाओं, मेडिकल कॉलेज, आवासीय परिसरों तथा संबद्ध सुविधाओं सहित नई दिल्ली के एम्स के पैटर्न पर निर्माण करना है जिससे वहां के आसपास के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के निकट स्थित बड़ौदा शहर एम्स (AIIMS) जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहां पर उत्तर तथा दक्षिण गुजरात के लोगों के साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग भी इलाज के लिए आते हैं, परंतु उपयुक्त चिकित्सा सेवाओं के अभाव में लोगों को काफी कठिनाई होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार से मेरा आग्रह है कि बड़ौदा में एम्स की स्थापना हेतु तत्काल मंजूरी प्रदान की जाए।

(ix) Regarding repair of Badipal dam on Lake Pichola in Udaipur, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) की प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ । पिछोला झील के मुख्य बांध (बड़ी पाल) जो कि उदयपुर के राजघराने के स्वामित्वाधिकार में रही इसकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था एवं मरम्मत आदि का कार्य हर वर्ष प्रशासन की जांच के बाद राजघराने द्वारा सम्पादित किया जाता रहा है । परंतु पिछले एक दशक से मौके पर किन्हीं कारणों से मुख्य बांध (बड़ी पाल) की मरम्मत नहीं हो सकी है। बांध की मरम्मत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस विषय को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियो के संज्ञान में लाया गया और अधीक्षक अभियंता जल संसाधन विभाग उदयपुर ने भी मुख्य बांध (बड़ी पाल)की मरम्मत करवाने, टूट-फूट को सही करने एवं रंग रोगन और रखरखाव के लिए सम्बंधित निर्देश दिए परन्तु फिर भी मौके पर काम नहीं हो सका है।

(x)Need to construct *Chakia* - *Bairgania* road in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर (बिहार)अंतर्गत गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क चकिया से बैरगनिया की और आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि उक्त चकिया से बैरगनिया सड़क को लगभग पांच वर्ष पूर्व सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया था। परन्तु दुःख के साथ सदन को यह यह सूचित करना पड़ रहा है कि उपरोक्त सड़क मार्ग पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है और जगह जगह गड्ढे हो गए है जिसके कारण यहाँ से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पूर्वी चम्पारण जिले से सीतामढ़ी जिले सहित भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले इस सड़क की स्थिति जर्जर होने से इसके आस पास अवस्थित गांवों का विकास कार्य भी अवरुद्ध है तथा इसका आवागमन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पद रहा है। उक्त सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल किये जाने के बाद वर्तमान में न तो केंद्र सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण सड़क का रखरखाव या निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अतः सरकार से अनुरोध होगा कि उपरोक्त चकिया से बैरगनिया सड़क का शीघ्र निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(xi) Need to depute Central Armed Police Forces in Darbhanga, Bihar keeping in view the increasing terrorist activities in the region

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): दरभंगा, उतर बिहार व मिथिला का केंद्र है एवं भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। दरभंगा का अतीत अत्यंत गौरवशाली है, यह विद्वानों की धरती रही है। पूर्व से ही दरभंगा के लिए सुरक्षा अत्यंत चिंता का विषय बना रहा है। यह क्षेत्र काफी शांतिप्रिय है एवं क्षेत्र के लोग मृदु भाषी होते है। इसी का फायदा लेकर आतंकी संगठनों के लिए यह पूरा क्षेत्र एक सुरक्षित स्थल बनता जा रहा है और कई मामलों में यहां के संदिग्ध लोगों के तार पाकिस्तान व आतंकी संगठनों से जुड़े हुए पाये गये है।

विदित हो कि इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकवादी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे है। इंडियन मुजाहिद्दीन के कुख्यात आंतकवादी यासीन भटकल, तहसीन अख्तर के तार भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए पाये गये थे । ज्ञात हो कि पिछले वर्ष भी शहर के मध्य में एक अति शक्तिशाली ब्लास्ट हुआ था, जिसमें स्थानीय स्तर पर काफी क्षति भी हुई थी, लेकिन उसकी जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान में बीते दिनों दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी कपड़े के बंडल में एक केमिकल ब्लास्ट हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े है। ऐसे कई असामान्य व राष्ट्र विरोधी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं , जिससे यह प्रमाणित होता है कि पूर्व के आतंकियों ने इस क्षेत्र में रहकर अपने नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य किया है।महोदय, सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ी सी भी चूक काफी घातक सिद्ध हो सकती है, ऐसे में मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इस क्षेत्र में इंटेलिजेंस मजबूत करने, सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती दरभंगा में करने की कृपा करें।

(xii) Regarding CGHS facilities for serving employees/pensioners of Union Territories

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS): Government of India by an Office Memorandum dated 21st July, 2017 clarified that 'serving employees/pensioners of Union Territories are not entitled to CGHS facilities'. This decision was challenged before CAT, Ernakulam which directed continuation of CGHS facilities to the serving and retired employees of Union Territories. The said decision is under challenge due to which the serving employees/pensioners cannot avail CGHS services in Andaman & Nicobar Islands and other UTs. Due to absence of CGHS benefits, the serving and mostly the retired pensioners face difficulty in availing medical facilities. I request the Central Government to extend the benefits of CGHS scheme to serving and retired employees of Central Government residing in Andaman and Nicobar Islands along with other UTs by removing the distinction between Central Government and Union territory employees. Such a decision will benefit a large number of people and also be the right step during the corona pandemic which has resulted in health crisis.

(xiii) Regarding inclusion of Malayalam in the list of approved languages

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Malayalam may be included in the list of approved languages for training members of parliament and officials in various Indian languages. Now languages such as Gujarati, Bengali, Marathi, Tamil &Telugu were included in the first stage and subsequently Kannada was included. Though Malayalam is recognised as a classical language, unfortunately, it has been overlooked in several instances. Malayalam is a rich language with classical literature since centuries. The very first Jnanpith award was bestowed to a towering Malayalam poet, G. Shankara Kurup, in1965 speaks volumes about the merit of the language.

Hence, I would request to the Central Govt that Malayalam may be included in the list of approved languages .

(xiv) Need to restore railway services between Mayiladuthurai and Tharangambadi in Tamil Nadu

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): I request the restoration of Railway line between Mayiladuthurai and Tharangambadi of Thirunelirappali Division, Southern Railway. The length of the Railway line is 390 Kilometers. This line was dismantled in the year 1991 for Broad gauge conversion. Now it is non operational for the past 30 years. This railway line connects so many educational Institutions, trade centres and pilgrimage centres. Hence, it is most urgent to operationalise the railway line.

(xv) Need to take appropriate legislative action to relax the 50 percent limit of reservation*

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Constitution (One Hundred Second) Amendment Act, 2018 which was passed by the Parliament, removed the power of the states to identify socially and educationally backward classes.

The Supreme Court of India gave the verdict that Maratha Reservation Act is violating the limit of 50% reservation upheld in the Indra Sawhney and other cases and it should not cross the 50% cap on quotas. Hence, it cannot be permitted. Supreme Court further advised the central government to make constitutional amendment and formulate a reservation policy.

It means that the central government is unable to grant reservation to any community till this 50% cap exists. Indra Sawhney case is 30 years old which fixed this cap of 50%. But, the present government started giving reservation on the basis of economic backwardness since 2019 through 103rd constitutional amendment by incorporating article 15(6) and 16(6). On the same line, the central government should come forward to relax the 50% limit of reservations by taking necessary action in this regard. It is also requested to relax the 50% limit of reservation by taking an appropriate legislative action like bringing a constitutional amendment act in this connection.

---

* English translation of the speech laid on the Table originally in Marathi.

(xvi) Need to repair approach roads to various railway stations under the control of railways in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की ओर दिलाना चाहता हूं। गोपालगंज जिले में सभी स्टेशनों को जोड़ने वाली रेलवे की रोड़ जर्जर अवस्था में है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के लिए हर क्षेत्र में विकास के लिए रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। गोपालगंज यावे, सासामुसा, जलालपुर, रतन सराय, सिधवलिया, दिधवा, दबौली इन सभी स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें जो कि रेलवे के अधीन है, पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है तथा रेलवे के अधीन वाली सड़के गढ्ढे में तब्दील है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने से रेलवे स्टेशनों से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है एवं जान-माल की भी हानि होती है। पूर्व में भी पूर्वोत्तर रेलवे के संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन अब तक रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली रेलवे के अधीन वाली सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में विचार करते हुए जनहित में पूर्वोत्तर रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों को गोपालगंज, थावे, सासामुसा, जलालपुर, रतन सराय, सिधवलिया, दिधवा दुबौली स्टेशनों तक जाने वाली सड़कों जो कि कई वर्षों से खराब है की मरम्मत कराने के लिए यथाशीघ्र निर्देश देने की कृपा की जाए जिससे कि मेरे क्षेत्रवासियों को स्टेशनों तक ट्रेन पकड़ने के लिए असुविधा का सामना न करना पड़े साथ ही रेलवे का अधिक रिवेन्यू भी बढ़े।

(xvii) Need to ensure payment to sugarcane farmers of Balrampur, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान चीनी मिल इटई मैदा बलरामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस चीनी मिल द्वारा वर्ष 2020-2021 का गन्ना किसानो का पैसा केवल मात्र 06 दिन का भुगतान किया गया है । जबकि पिराई सत्र 2020-2021 मिल के द्वारा बन्द हो गयी है। ऐसी स्थिति मे सरकार से मेरी मांग है कि तय समय मे भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय जिससे किसानो को इस कोरोना काल में राहत मिल सके।

(xviii) Regarding skill upgradation of Weavers in Medak Parliamentary Constituency

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to draw the kind attention of the Government towards the need to protect the weavers' community in my 7 Assembly Constituencies especially in Siddipet and Dubbaka Assembly Constituencies which fall in my Medak Parliamentary Constituency in Telangana State. It is stated that there are about 25000 to 30000 weavers who hail from Padmashali and Neelakantam communities in my Parliamentary Constituency. It also has the highest number of weavers in Dubbaka followed by Siddipet Assembly Constituency and other Constituencies also have weavers. However, majority of them do not have proper employment opportunities. With the introduction of new technologies, their skills are not matching with the imported machinery and particularly youth need more skill training for which more skill development centres and technical institutes may be set up by identifying the weavers' interests.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Textiles, to kindly intervene in the matter and do the needful.

(xix) Need to provide a relief package for people affected due to heavy rains and flood in Maharashtra and help people rebuild their damaged homes under PMAY

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश से चारों तरह हाहाकार मच गया है, गांव में पानी भरा है, मकान बह गए है, कई लोग पानी में डूब गए और खेत में काम करते समय बिजली गिरने से किसान मर गए, कई छोटे-मोटे व्यापार करने वाले दुकानदार, फेरी वाले, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले पानी में डूब गए। राज्य आपदा प्रबंधन इकाई के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 209 हो गई है और 8 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अनुसार 43 सड़कें जलमग्न हो गई हैं और भीषण बाढ़ के चलते चिपलुन में वशिष्ठि नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अमरावती के अंतर्गत भातकुली तहसील, अमरावती तहसील, मेलघाट क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोंकण विभाग के चिपलुन, महाड, पोलादपूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्र विभाग के कोल्हापुर, सातारा, सांगली में बादल फटने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से बेहाल हो गया है । पूरे महाराष्ट्र में लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से निर्देश दिए जाय कि महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों की जल्द से जल्द सहायता की जाय। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पीड़ित परिवारों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने हेतु उचित सहायता करने के लिए सरकार बड़े राहत पैकेज की तुरंत घोषणा करे, जिससे पीड़ितों का जीवन फिर से पहले जैसा हो पाए, साथ ही साथ बाढ़ के कारण तबाह हुए घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से पुनः बनवाने का प्रयास किया जाए, यह भी मैं सरकार से निवेदन करती हूँ ।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 4 p.m.

14.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

____

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Sixteen of the Clock.
(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)
… (व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
…(व्यवधान)

माननीय सभापति : महासचिव।

… (व्यवधान)

16.02 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August, 2021 agreed without any amendment to the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29th July, 2021."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2021."

2. Sir, I lay on the Table the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha on the 5th August, 2021.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table.

माननीय सभापति: चलिए, आप लोगों की ड्यूटी हो गई न। आप सब को जनता देख रही होगी, सब कहता होगा कि कहाँ फँस गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: चलिए, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, काम करने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: बस, पाँच बजे तक स्थगित करते हैं, रेस्ट कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: पाँच बजे तक स्थगित करते हैं, आप जाइए।

… (व्यवधान)

16.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

17.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

… (व्यवधान)

17.01 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shrimati Satabdi Roy Banerjee, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

17.02 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced …Contd.

(ii)Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021*

HON. CHAIRPERSON: Item No. 22A.

माननीय वित्त मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and the Finance Act, 2012.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**:**

"कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.2021.

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury-ji.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, it is astounding to note that this House has set a record by passing each and every Bill in a span of only seven minutes. It clearly indicates an outrageous onslaught on the parliamentary democracy…. (व्यवधान) हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। हमने मांग की है कि पेगासस जासूसी कांड पर थोड़ी चर्चा की जाए।

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, सुनिए। आपको विधेयक के पुर:स्थापन पर बोलना है**,** तो बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारी मांग जायज है, लेकिन यह सरकार इसे नाजायज साबित करने की कोशिश कर रही है।… (व्यवधान) हमारी मांग जायज है। आज अचानक सप्लीमेंट्री लाया गया, बिना पूछे**,** बिना बताये सप्लीमेंट्री लाया गया।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran ji.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, I fully support Adhir Ranjan ji. We are all ready for discussion. Introduction of a Bill of this nature, as a Supplementary List of Business, is not proper.

I fully support our leader, Adhir Ranjan ji that we are ready for discussing the Pegasus issue … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I introduce* the Bill.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि आप लोग हल्ला करते रहे और कोई काम नहीं किया।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है**,** मैं आपको बड़ी श्रद्धा, प्रेम से बता रही हूं कि आप जनता का काम करने आए हैं। आपको जनता का काम करना चाहिए। जिस आदमी ने आपको भेजा है**,** उसका काम करना चाहिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

---

* Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

17.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 6, 2021/Sravana 15, 1943 (Saka).

____

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)